



372

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2018 जिला-मंदसौर

4657

2018/म-दसौर/भू-रफ.1

- 1 अनिल गुप्ता पुत्र श्री लालादलेल गुप्ता
 - 2 श्रीमती सुमन पत्नी अनिल गुप्ता
 - 3 श्रीमती ज्योति पत्नी श्री आशीष गुप्ता
- निवासीगण - डी.आर.पी लाईन के सामने
मंदसौर जिला - मंदसौर (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरुद्ध

- 1 इमतियाज बेगम विधवा बावरखान्
 - 2 अफजल खान पुत्र स्व. बावरखान
 - 3 खानू पुत्र स्व. बावरखान
 - 4 शरीफ खान पुत्र स्व. बावरखान
 - 5 अब्बल खान पुत्र स्व. बावरखान
- निवासीगण-बेलारी तहसील सीतामऊ जिला -
मंदसौर (म.प्र.)
- 6 मेहरुनिशा पुत्र स्व. बावरखान पत्नी हाजीनवी
खान
 - निवासी - धुन्धइका तहसील दलौदा जिला -
मंदसौर म.प्र.
 - 7 कमरुनिशा पुत्री स्व. बावरखान पति शेरआजम
खान
 - निवासी - नया खेडा
 - 8 जेबुनिशा पुत्री स्व. बावरखान पति आजमखान
निवासी - उदयपुर राजस्थान
 - 9 श्रीमती प्रतिभा पत्नी निर्षद बाईया
निवासी - सीतामऊ तहसील व जिला
सीतामऊ
 - 10 संदीप पुत्र भगवतीलाल जी मोदी
निवासी - मोदी मोहल्ला निम्बाखेडा जिला
चित्तौडगढ़ राजस्थान

-- अनावेदकगण


न्यायालय तहसीलदार तहसील सीतामऊ द्वारा प्रकरण क्रमांक
2/अ-13/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 के विरुद्ध
म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4651/2018/मंदसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	